न्यायालय अपर जिला जज,प्रथम,जौनपुर
उपस्थितः श्री अनिल कुमार यादव,प्रथम एच0जे0एस0 ।
सिविल निगरानी संख्याः 35/2024
छेदीलाल-----------बनाम----------रामदुलार

निर्णय

प्रश्नगत सिविल निगरानी सिविल जज (जू0डि0) शहर, जौनपुर द्वारा मूलवाद सं0 372/1971 श्यामा बनाम सीताराम में पारित आदेश दिनांकित 18.03.2024 के विरूद्ध योजित की गयी है।

दौरान सुनवाई पक्षकार अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि मूल वाद संख्या 372/1971 श्यामा बनाम सीताराम की पत्रावली में वादी की ओर से प्रार्थनापत्र का0सं0 454ग व 457ग विवादित गाटों की मध्यवर्ती सीमा निश्चित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध प्रतिवादी की ओर से आपत्ति 455 ग व 459ग प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र कागज सं0 454 ग व 457ग निरस्त किये जाने पर बल दिया गया।

विद्वान अवर न्यायालय ने पक्षकारों को सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त सिविल अपील सं0 31/2001 में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2019 के आलोक में प्रार्थनापत्र 454ग व 457ग निरस्त कर दिया गया।

उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता की ओर से प्रश्नगत निगरानी संस्थित की गयी है। निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में सरसरी तौर से कथन करते हुए यह आधार लिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने मनमाने ढंग से आलोच्य आदेश पारित किया है। जहाँ तक निगरानीकर्ता द्वारा लिया गया उक्त आधार का प्रश्न है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 31/2001 में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2019 के अनुक्रम में अमीन अदालत को आदेशित किया गया कि नवीन सर्वे मैप बन्दोबस्ती नक्शा का0 सं0 79ग के आधार पर बनाकर पत्रावली में दाखिल करे और प्रार्थनापत्र 454ग एवं 457ग को निरस्त कर दिया गया। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उक्त आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय का आलोच्य आदेश पूर्णतः विधिपूर्ण है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.03.2024 की पुष्टि की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक-10.03.2026 **(अनिल कुमार यादव,प्रथम)**
अपर जिला जज, प्रथम
जौनपुर।
जे.ओ.कोड-यू.पी. 6112

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक-10.03.2026 **(अनिल कुमार यादव,प्रथम)**
अपर जिला जज, प्रथम
जौनपुर।
जे.ओ.कोड-यू.पी. 6112

Digitally signed by ANIL KUMAR YADAV
Date: 2026.03.10 16:46:38 IST
Reason: Judgment
Location: District and Sessions Court Jaunpur